कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्र. / मु.चि.अ. / भण्डार / एड्स / 2012 /   / कांकेर, दिनांक   / 01 / 2012

–:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::–

परियोजना संचालक, छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर के पत्र क्र. / एड्स / वित्त / 2012 / 24 / रायपुर, दिनांक 25.01.2012 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, जिला–उ0ब0कांकेर (छ.ग.) की ओर से जिला चिकित्सालय कांकेर के ब्लड बैंक के लिए सामग्री एवं उपकरणों में **Generator/Invertor 1 Unit** एवं **Blood Bank Refrigerator 2 Unit** का क्रय किया जाना है। इस हेतु प्रतिष्ठित निर्माता तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से सीलबंद निविदाएँ दिनांक 14.02.2012 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 14.02.2012 को अपरान्ह 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी, जिसमें निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें एवं निविदा फॉर्म कार्यालयीन दिवस व कार्यालयीन अवधि में रू.500 / –(पाँच सौ रूपये) नगद शुल्क जमा कर दिनांक 14.02.2012 मध्यान्ह 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा।

निविदा अभिलेख **http://kanker.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

टीप :– निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालय के भण्डार शाखा से कार्यालयीन अवधि में सम्पर्क कर लिया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्र./भण्डार/एड्स/2011–12/ /कांकेर, दिनांक /02/2012

–:: <u>अल्पकालीन निविदा सूचना की नियम व शर्तें</u> ::–

परियोजना संचालक, छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के पत्र क्र./एड्स/वित्त/2012/24/ रायपुर, दिनांक 25.01.2012 के तहत कलेक्टर, जिला–उ0ब0कांकेर के समक्ष प्रस्तुत टीप पत्र दिनांक 24.01.2012 में दिये गये अनुमति पश्चात् कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, जिला–उ0ब0कांकेर (छ.ग.) की ओर से जिला चिकित्सालय कांकेर के ब्लड बैंक हेतु सामग्री एवं उपकरणों में Generator/Invertor 1 Unit एवं Blood Bank Refrigerator 2 Unit का संलग्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रतिष्ठित निर्माता एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें :–

01 निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर निविदा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 14.01.2012 को अपरान्ह 03:00 बजे तक प्राप्त निविदा उसी दिन शाम 04:00 बजे क्रय समिति की उपस्थिति में निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

02 निविदा दाता इस कार्यालय से दिनांक 14.02.2012 तक मध्यान्ह 12:00 बजे तक निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

03 निविदादाता को अमानत राशि रू.45,000=00(पैंतालीस हजार रूपये) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हुआ एफ.डी. आर. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

04 निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जावेगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जावेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जावेगा अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।

05 निविदाकार को वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06 निविदाकार के द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस., वेट एवं अन्य कर देय होगा। अतः प्रस्तुत दर टेक्स अलग कर प्रस्तुत करना होगा

07 निविदाकार को अपने व्यापारिक संस्थान का पूर्ण पता सामग्री का दर एवं कर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

08 सफल निविदाकार को उल्लेखित सामग्रियों के क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–उ0ब0कांकेर तक स्वयं के व्यय पर पहुँचाना होगा।

09 परिवहन के दौरान सामग्रियों के टूट–फूट एवं किसी प्रकार की क्षति के भुगतान हेतु कार्यालय बाध्य नहीं होगा।

10 सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने एवं टूट–फूट की स्थिति में सामग्री वापस लौटायी जावेगी, जिसे निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा।

11 निर्धारित समयावधि के भीतर सामग्री प्रदाय नहीं करने पर जमानत राशि राजसात किया जावेगा तथा क्रय आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

12 फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं क्रय समिति की अनुशंसा के उपरान्त किया जावेगा।

13 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्ष अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

14 तीन वर्ष के लिए वार्षिक संधारण प्रमाण पत्र (AMC) Annual Maintenance Certificate दिया जाना अनिवार्य होगा।

15 निविदाकर्ता संबंधित फर्म/निर्माता द्वारा क्रय सामग्री का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करेंगे।

16 संबंधित सामग्री का इन्स्टालेशन एवं टेस्ट के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

17 निविदाकर्ता को निम्न वस्तु/प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा

1. वाणिज्य कर समायोजन का प्रमाण पत्र।
2. आय कर समायोजन का प्रमाण पत्र/
3. पेन कार्ड की छायाप्रति।
4. टिन नम्बर की छायाप्रति।
5. कम्पनी की आई.एस.आई.मार्क की प्रमाणित छायाप्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)